अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 12/2014

गायत्री देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1685 दिनांक 23.07.2014 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा दिनांक 27.12.2013 को गायत्री देवी, ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति संख्या–01/09, पंचायत–माधोपुर, प्रखंड–मढ़ौरा, की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में, निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई– 1. निरीक्षण के समय दुकान बंद पाई गई। 2. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया कि बी0पी0एल0 योजना में 20 किलो खाद्यान्न (10 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल) दिया जाता है और 150 रू0 की राशि वसूल की जाती है। 3. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया अन्त्योदय योजना मे 25 किलो खाद्यान्न दिया जाता है और 100 रू0 की राशि वसूल की जाती है। 4. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि 2 लीटर किरासन तेल देकर 40 रू0 की राशि वसूल की जाती है। 5. विक्रेता की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया है कि माह अक्टूबर का खाद्यान्न देकर माह नवम्बर 2013 का भी कूपन फाड़ लिया गया है।	

6. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि माह दिसम्बर 13 में भी 3 लिटर किरासन तेल के बदले 2 लिटर किरासन तेल दिया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 39 दिनांक 27.12.2013 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1685 दिनांक 23.07.2014 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। दिनांक 27.12.2013 को विक्रेता की दूकन की जॉच अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा स्वंय की गई थी, जिसमें विक्रेता उपस्थित थे एवं उनकी दूकान खुली हुई थी। अतः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा लगाया गया यह आरोप कि जॉच की तिथि को विक्रेता की दूकान बन्द थी सरासर गलत है। विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1685 दिनांक 23.07.2014) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता से

प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 20.08.2014 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 95 / दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।
15/1/16